भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1687

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

1687. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए संवितरित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत शामिल किए गए और 3 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले शहरों और कस्बों के नाम और संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि असम में मिशन के अंतर्गत केवल 30% से कम पुराने अपशिष्ट, जो कि डंपसाइटों के 10% क्षेत्र को कवर करता है, का ही उपचार किया गया है और पुनः प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधित ठोस अपशिष्ट के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और क्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार यह आंकड़ा किसी भी राज्य में 60% से कम है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत, 1142.08 करोड़ रूपए उत्तर-पूर्वी राज्यों को आवंटित किए गए हैं और जिसमें से 221.81 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। एनईआर के लिए संवितरण का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): सभी शहरों के लिए 3 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणीकरण की उपलब्धियों के बारे में विवरण वेबसाइट https://sbmurban.org पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत असम राज्य का 123.80 करोड़ रूपए का प्रस्ताव, जिसमें 111.42 करोड़ रूपए केंद्र का हिस्सा है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। एसबीएम-यू 2.0 वित्तपोषण के लिए पुरानी अपशिष्ट डंपसाइट्स के शोधन के लिए असम राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जैसा कि असम राज्य द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर बताया गया है, 25 लाख टन पुराने कचरे में से, 8 लाख (~30%) टन को शोधित किया गया है और 119.39 एकड़ भूमि में से 12 एकड़ (~10%) को पुनः प्राप्त किया गया है।

(ङ) और (च): संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, इन्हें निष्पादित और संचालित करना राज्य/यूएलबी का उत्तरदायित्व है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) नीति निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

स्वच्छतम पोर्टल पर, एनईआर राज्यों ने अरुणाचल प्रदेश में 7.67%, असम में 60.07%, मणिपुर में 82.48%, मेघालय में 44.42%, मिजोरम में 100%, नागालैंड में 35.50%, सिक्किम में 78.02% और त्रिपुरा में 98.57% ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की सूचना दी है।

इन सुविधाओं के उन्नयन/संवर्द्धन के साथ-साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

****

अनुलग्नक

"स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2.0)" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1687 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	निधि आबंटन	जारी की गई निधि
1	अरुणाचल प्रदेश	129.00	28.73
2	असम	503.50	82.02
3	मणिपुर	96.20	14.79
4	मेघालय	67.30	16.79
5	मिजोरम	82.50	19.93
6	नागालैंड	158.88	40.17
7	सिक्किम	19.40	4.03
8	त्रिपुरा	85.30	15.34

*****